

राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक- एफ 3(1)()निमअ/सामान्य/2013/ 24151 जयपुर दिनांक 5/8/14

आदेश

विभाग के पूर्व में जारी आदेशों के अतिक्रमण में महिला अधिकारिता विभाग में संचालित कार्यक्रम/योजनाओं के निरीक्षण के क्रम में जिलें आवंटित कर निम्न निर्देश जारी किए जाते हैं-

❖ निदेशालय महिला अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को आवंटित जिलें-

क्र. सं.	अधिकारी	आवंटित जिलें
1	अतिरिक्त निदेशक, महिला अधिकारिता	जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर, झुझुनूं
2	अतिरिक्त निदेशक, एस0एच0जी0	उदयपुर, डुंगरपुर, बांसवाडा, प्रतापगढ
3	मुख्यलेखाधिकारी, म0अ0	अजमेर, नागौर, भीलवाडा, टोंक, राजसमन्द
4	कार्यक्रम निदेशक, मुख्यालय	श्रीगंगानगर, हनुमानगढ, बीकानेर, बाडमेर, चुरु
5	उपनिदेशक, महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ	भरतपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर
6	उपनिदेशक, प्रशासन एवं प्रशिक्षण	जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, जैसलमेर
7	उपनिदेशक, एस0एच0जी0	कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड, चित्तौडगढ

- ❖ क्र.सं0 1 से 7 पर अंकित अधिकारीगण आवंटित जिलों का टाईम्स पोर्टल पर निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार निरीक्षण करेंगे।
- ❖ संभाग स्तरीय कार्यक्रम निदेशक प्रत्येक माह में अपने संभाग के समस्त जिलों का निरीक्षण एवं निरीक्षण के दौरान प्रत्येक जिलें की दो ग्राम पंचायतों का दौरा करेंगे।
- ❖ उक्त अधिकारीगण निरीक्षण के दौरान महिला अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित समस्त कार्यक्रमों/योजनाओं के क्रियान्वयन का निरीक्षण करेंगे। वे क्षेत्र में योजनाओं के क्रियान्वयन तथा भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की तुलना में प्राप्त उपलब्धि का आंकलन करेंगे। क्षेत्र में योजनाओं के लाभान्वितों से चर्चा करते हुए योजनाओं के प्रभाव के बारे में स्पष्ट रिपोर्ट करेंगे।
 - स्वयं सहायता समूह योजना
 - प्रियदर्शिनी योजना
 - स्वावलंबन योजना
 - आर0के0सी0एल0 के माध्यम से संचालित आर0एस0सी0आई0टी0 एवं डिजिटल सहेली कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम।

- बाल विवाह रोकथाम
- धनलक्ष्मी केन्द्र
- महिला विकास कार्यक्रम
- सबलां योजना
- किशोरी शक्ति योजना
- महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र
- सामूहिक विवाह अनुदान योजना

- ❖ निरीक्षण प्रतिवेदन निदेशालय महिला अधिकारिता विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में निरीक्षण के तीन दिवस पश्चात् अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।
- ❖ उक्त निरीक्षण प्रतिवेदन टाईम्स पोर्टल पर प्रत्येक माह अपलोड किये जायेंगे।

(Signature)
 (राजेश यादव)
 निदेशक
 महिला अधिकारिता

क्रमांक— एफ 3(1)()निमअ/सामान्य/2013/ 24/52-167 जयपुर दिनांक 5/8/14
 प्रतिलिपि:—

1. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक, महिला अधिकारिता, राज0 जयपुर।
2. समस्त संबंधित अधिकारीगण, म0अ0.....।
3. कार्यक्रम निदेशक, समस्त आरआरटीसी,।
4. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

(Signature)
 अतिरिक्त निदेशक
 महिला अधिकारिता